235-Policy

## TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(56)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / /34

Dated: 04/11/20

## Notification No. 68/2020- State Tax

: In exercise of the powers conferred by section 128 No. F.3(56)/Fin.(Rev-I)/2020-21/ DS-IV/ of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act which is in excess of two hundred and fifty rupees, for the registered persons who fail to furnish the return in FORM GSTR-10 by the due date but furnishes the said return between the period from 22<sup>nd</sup> day of September, 2020 to 31<sup>st</sup> day of December, 2020.".

This notification shall come into force from the 21st September, 2020.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

No.F3(56)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / /34 Copy forwarded for information to:-

(Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

Dated: 09/11/40

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

3. /The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi 4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi

Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi

6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat,

OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

CA I

10. Website.

11. Guard File.

(Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

Ms. Pounam | Inchange EDP cell

## (दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (राजस्व —I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली —110002

सं.फा. 3 (56)/वित्त (राजस्व- I)/2020-21/डीएस-IV//24

दिनांकः 04/11/40.

## अधिसूचना संख्या- 68/2020-राज्य कर

सं.फा. 3(56) / वित्त (राजस्व— I) / 2020—21 / डीएस—IV — दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसंके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उन रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि नियत तारीख तक प्ररुप जीएसटीआर—10 में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन वे उक्त विवरणी को समयावधि सितंबर, 2020 के 22वें दिन से दिसंबर, 2020 के 31 वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सी पचास रुपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 21 सितंबर, 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पुर

> र्श्वर्ग कुमार) उप सचिव—IV (वित्त)

सं.फा. 3 (56)/वित्त (राजस्व- I)/2020-21/डीएस-IV//3 4

दिनांकः 05/11/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग — चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।

3./सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

#. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली!

8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

9. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

10. वेब साईट।

11. गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार) उप सचिव—IV (वित्त)